राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
Website www.uniraj.ac.in, Email.acad.2uor@gmail.com

क्रमांक : शैक्षणिक द्वितीय / के.प्र.सं. / 2024 / 13236 दिनांकः 01.08.2024

समस्त
विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य,
संबंधित विभाग / केन्द्र / संघटक महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः— एस.एफ.एस. मोड में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या के आधार पर प्रवेश के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्लान एण्ड प्रोजेक्ट अनुभाग द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है कि अनुपालना में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों / केन्द्रों में एस.एफ.एस. मोड में संचालित स्नातकोत्तर / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेशित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में यदि किसी विभाग / केन्द्र में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम रहती है तो उक्त पाठ्यक्रम संबंधित विभाग / केन्द्र में संचालित किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही यदि ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक है, परन्तु ऑनलाईन माध्यम से फीस जमा करवाने वाले प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम रहती है तो उस स्थिति में भी उस विभाग / केन्द्र में उपरोक्त पाठ्यक्रम संचालित किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः कृपया आपके विभाग / केन्द्र में एस.एफ.एस. मोड में संचालित स्नातकोत्तर / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स में विश्वविद्यालय के प्लान एण्ड प्रोजेक्ट अनुभाग द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रवेश किया जाना सुनिश्चित करें।

– Sd –
उप—कुलसचिव
(शैक्षणिक—द्वितीय)

क्रमांक : शैक्षणिक द्वितीय / के.प्र.सं. / 2024 / 13237—42 दिनांकः 01.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त "कार्यालय आदेश" को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार / परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीया कुलपति / कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

1.8.2024
उप—कुलसचिव
(शैक्षणिक—द्वितीय)